UPJB010025822024

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं0–1, अमरोहा।**

**पीठासीन अधिकारीः श्री शाकिर हसन, (एच0जे0एस0)**

**आपराधिक पुनरीक्षण सं0–121 सन 2024**

1– श्यामलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास निवासी मौहल्ला कालां कुआं अमरोहा थाना अमरोहा नगर जिला अमरोहा।

................**पुनरीक्षणकर्ता**

**बनाम**

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला अधिकारी महोदय जोया रोड कलैक्ट्रट जनपद अमरोहा।

2. राधेश्याम पुत्र स्व0 लक्ष्मनदास मौहल्ला शोभा नगर किशनगढ़ थाना अमरोहा नगर जिला अमरोहा।

................**विपक्षीगण**

**<u>निर्णय</u>**

**1–** यह आपराधिक पुनरीक्षण सं0 121 सन 2024 पुनरीक्षणकर्ता श्यामलाल की ओर से परिवाद सं0 1405 सन 2023 राधेश्याम बनाम श्यामलाल के अन्तर्गत विद्वान अपर सिविल जज प्रथम/जे0एम0 अमरोहा द्वारा दिनांक 22.02.2024 को पारित तलबी आदेश, जिसके माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त श्यामलाल को भा0दं0सं0 की धारा 323,504 के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया है, से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

**2–** इस आपराधिक पुनरीक्षण के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता को एतद्पश्चात इस निर्णय के अंतर्गत अभियुक्त एवं विपक्षी सं0–2 को परिवादी के नाम से निर्दिष्टि किया गया है।

**3–** प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के प्रौदभूत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी राधेश्याम ने अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद इस आशय का योजित किया गया कि परिवादी/प्रार्थी करीब 70 वर्षीय वृद्ध सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी के छोटे भाई श्यामलाल द्वारा प्रार्थी व अन्य परिजनों के



Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.02 17:45:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरूद्ध एक झूठा मुकदमा पंजीकृत कराये जाने पर जब प्रार्थी ने उसकी तह में जाने का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के भाई श्यामलाल ने स्वयं के व एक अन्य भाई पवन कुमार (तब उम्र करीब 14 वर्ष) के पक्ष में पिताजी श्री लक्ष्मण दास पुत्र स्व० चमन लाल निवासी मौहल्ला कालाकुओं तहसील अमरोहा वर्तमान जिला अमरोहा से दिनांक 01–09–1986 में रजिस्टर्ड वसीयत करायी हुई है। जबकि प्रार्थी 5 भाई व 3 बहनें है। पिताजी श्री लक्ष्मण दास का देहान्त दिनांक 06–09–1986 को हो गया। उक्त वसीयत की जानकारी प्रार्थी व माता आदि को नहीं हुई तथा सभी भाई सम्पत्ति पर काबिज रहे। इसी मध्य उक्त वसीयत को स्थापित करने हेतु श्यामलाल व पवन कुमार ने भाई प्रदीप कुमार व भावना पत्नी प्रदीप कुमार से हमसाज होकर एक सिविल वाद योजित कर निर्णीत करा लिया। दिनांक 29–07–2015 को उक्त विषयगत सम्पत्ति के कुछ भाग का बैयनामा श्याम लाल ने हंसराज से हमसाज होकर उसके नाम किया। दिनांक 29–07–2015 को ही उक्त विषयगत सम्पत्ति का बैनामा श्यामलाल ने पवन कुमार से स्वयं के नाम कराया गया। दिनांक 22–05–1990 को श्याम लाल व पवन कुमार उक्त सम्पत्ति का बेयनामा प्रदीप कुमार व उसकी पत्नी भावना को कर चुके है। सभी बैनामों में इनकी पत्नी पुत्र आदि गवाह है जोकि इस षडयन्त्र का हिस्सा है। पूर्व में प्रार्थी को इन चीजों की जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा जब इनके इस अपराधिक षडयन्त्र व कागजों में हेरा फेरी कर धोखाधड़ी किये जाने की जानकारी हासिल की तब से यह लोग प्रार्थी की जान व माल के दुश्मन बने हुए है तथा अपराधिक किस्म के लोगों से प्रार्थी का चेहरा करा रहे है। दिनांक 03–01–2022 शाम करीब 6.30 बजे प्रार्थी नगरपालिका अमरोहा के पास से पकौडी खरीद कर घर आ रहा था कि मौहल्ला बगला की पतली गली के पास श्यामलाल पुत्र स्व० लक्ष्मण दास निवासी मौहल्ला कालाकुओं थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा व दो व्यक्ति अन्य नाम व पता अज्ञात ने प्रार्थी पर घात लगाकर हमला कर दिया। शोर मचाने पर लोग इकटठा होने पर यह लोग फिर देख लेने व जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। इनमें से एक व्यक्ति के पास चाकू था। इन लोगों द्वारा किये गये हमले में प्रार्थी बुरी तरह चोटिल हो गया। प्रार्थी इसी शिकायत करने थाने गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। श्याम लाल बेहद दबंग, हेकड किस्म का धनाढ्य, प्रभावशाली व्यक्ति है। इन लोगों ने हमसाज होकर धोखाधड़ी कर प्रार्थी की सम्पत्ति हड़प ली है तथा इन लोगों से प्रार्थी की जान व माल का

सख्त खतरा बना हुआ है। प्रार्थी ने समस्त घटना का प्रार्थना–पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद अमरोहा को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 05–01–2022 को प्रेषित किया, परन्तु इसके उपरान्त भी आज तक कोई भी कानूनी कार्यवाही मुल्जिमान उपरोक्त के विरूद्ध नहीं की गयी है, तब परिवाद योजित किया गया। परिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में बयान अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० के अंतर्गत स्वयं को तथा धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत बतौर सी०डब्लू०–01 मगन कुमार पुत्र राधेश्याम को परीक्षित कराया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में सूची द्वारा छायाप्रति प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, डाक की रसीद की छायाप्रति को दाखिल किया गया है। तदोपरांत न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त श्यामलाल को न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 / जे0एम0–प्रथम अमरोहा द्वारा दिनांक 22.02.2024 को आदेश पारित करते हुए भा0दं0सं0 की धारा 323,504 के अंतर्गत विचारण किये जाने हेतु आहुत किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता / अभियुक्त द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है।

**4–** पुनरीक्षण याचिका के आधार में यह कहा गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। अवर न्यायालय द्वारा मात्र एक साक्षी सी0डब्लू0–1 गगन कुमार जोकि परिवादी का पुत्र है, साक्ष्य स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता / अभियुक्त को धारा 323, 506 भा0दं0सं0 में तलब कर लिया जबकि अवर न्यायालय को धारा 202(1) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पुलिस से जांच कराने के उपरांत आदेश पारित करना चाहिए था। वास्तविकता यह है कि परिवादी ने जो आरोप वसीयत के सम्बन्ध में लगाये है, मनगढ़त है जबकि वास्तविकता यह है कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक मुकदमा परिवादी राधेश्याम व उसके पुत्र गगन, हंसराज, प्रदीप, सत्यपाल, श्रीमति पुष्पा देवी, श्रीमती तुलसी देवी के विरूद्ध अ0सं0 141 सन 2018 धारा 420,467,468,471, 120बी भा0दं0सं0 थाना अमरोहा में दर्ज हुआ जिसमें विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है जिसमें परिवादी व अन्य मुल्जिमान को जेल जाने के बाद जमानत हुई तथा सी0जे0एम0 के न्यायालय में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ। परिवादी ने एक सिविल वाद सिविल जज सी0डि0 अरमोहा में वाद सं0 441 सन

2011 राधेश्याम बनाम तुलसी देवी आदि अभिकथित वसीयत के सम्बन्ध में मकान की तकसीम के सम्बन्ध में दायर किया था जो मुकदमा प्रार्थी / रिवीजनकर्ता के पक्ष में दिनांक 04.02.2023 को न्यायालय सिविल जज सी0डिवी0 / एफ0टी0सी0अमरोहा द्वारा संशोधन फरमा दिया गया जिसका रिवीजन जिला एवं सत्र न्यायालय अमरोहा में विचाराधीन है। परिवादी ने अवर न्यायालय में कोई चिकित्सा आख्या दाखिल नहीं की है तथा थाना की धारा 156(3)दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर आयी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से थाना हाजा ने  कथन किया था कि परिवादी मुल्जिमान के विरूद्ध झूठा मुकदमा कायम कराना चाहता है। प्रार्थी के विरूद्ध परिवादी प्रार्थी के द्वारा दायर मुकदमा अ0सं0 141 सन 2018 धारा 420,467,468,471,120बी0 भा0दं0सं0 थाना अमरोहा नगर के फैसले के दबाव के लिए झूठा  मुकदमा दायर कर प्रार्थी को तलब कराया गया है। अतः रिवीजन स्वीकार कर प्रश्नगत तलबी आदेश अपास्त किया जाए।

रिवीजन के समर्थन में शपथपत्र श्यामलाल एवं सूची 7 बी से सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांकित 22.02.2024, सत्यप्रतिलिपि परिवाद पत्र परिवाद सं0 1405 / 23, अ0सं0 141 / 2018 की एफ0आई0आर0 की प्रति, छाया प्रति सिविल वाद  सं0 441 / 2011 राधेश्याम बनाम श्यामलाल आदि, छाया प्रति अ0सं0 141 / 2018 नकल आदेश  दिनांकित 10.11.2023 , छाया प्रति सिविल रिवीजन राधेश्याम बनाम तुलसी आदि दाखिल किये गये है।

**5—** निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस दाखिल करते हुए यह कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता ने  अवर न्यायालय के तलबी आदेश दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध यह रिवीजन प्रस्तुत किया है अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया तथा विधिक प्रावधानों से परे जाकर आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मात्र साक्षी सी०डब्लू–1 गगन कुमार जोकि परिवादी का ही पुत्र है का साक्ष्य स्वीकार कर प्रार्थी रिवीजनकर्ता को 323,506 आई०पी०सी० से तलब कर लिया गया, जबकि न्यायालय को 202(1) सीआर०पी०सी० के अन्तर्गत पुलिस द्वारा जांच करवाने के उपरांत आदेश पारित करना न्यायहित में होता। वास्तविक्ता यह है कि परिवादी द्वारा जो आरोप रिवीजनकर्ता के हित में की गयी वसीयत के सम्बन्ध मे लगाये है वह सभी मनगढंत है। वास्तविक्ता यह है कि रिवीजनकर्ता अपनी सम्पत्ति का मालिक बजरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.08.1986 द्वारा अपने स्वर्गीय पिता श्री लक्षमनदास जी से है। जिस कारण परिवादी राधेश्याम ने

रंजिशन अपनी वृद्ध अनपढ 90 वर्ष की माता जी श्रीमती तुलसी देवी को बहला फुसलाकर श्यामलाल की समस्त सम्पत्ति को हड़पने के लिये फर्जी वसीयतनामा धोखाधड़ी से दिनांक 24.03.2017 को बनवा लिया। जबकि तुलसी देवी का कोई स्वामित्व इस सम्पत्ति से नही था। राधेश्याम द्वारा बनायी गयी फर्जी वसीयतनामा दिनांक 24.03.2017 की जानकारी रिवीजनकर्ता श्यामलाल को हुई तब मुकदमा रिवीजनकर्ता श्यामलाल द्वारा मु०अ०सं० 141/2018 धारा 420,467,468,471,120 बी भा0दं0सं0 थाना अमरोहा नगर मे परिवादी राधेश्याम उसके पुत्र गगन व भाई हंसराज, प्रदीप, सतपाल, पुष्पा देवी, तुलसी देवी के विरूद्ध दर्ज करवाया जोकि विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय महोदय सी० जे०एम० में दाखिल हो चुका है व स्वयं परिवादी राधेश्याम व अन्य सभी मुल्जिमान जांच उपरांत जेल जा चुके है। फिलहाल जमानत पर है तत्पश्चात परिवादी राधेश्याम का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 239 सीआर०पी०सी० भी दिनांक 10.11.2023 को निरस्त हो चुका है। इन कारणो से परिवादी राधेश्याम रिवीजनकर्ता श्यामलाल से क्षुब्ध रहता है व रंजिश मानता है। परिवादी द्वारा सिविल वाद सिविल जज सी०डि०/ एफ०टी०सी० न्यायालय अमरोहा में वाद सं० 441/2011 राधेश्याम बनाम तुलसी देवी, श्यामलाल आदि तथा वाद सं0 149/2018 तुलसी देवी बनाम पवन, श्यामलाल आदि के विरूद्ध योजित किये गये थे। यह दोनो सिविल वाद 13 वर्ष व 6 वर्ष की न्यायिक सुनवाई के बाद दिनांक 04.02. 2025 व 06.02.2025 मे न्यायालय सिविल जज सी०डि०/एफ०टी०सी० द्वारा खारिज कर दिये गये। जिस कारण परिवादी अपने भाई रिवीजनकर्ता श्यामलाल से रंजिश मानता है। परिवादी द्वारा अवर न्यायालय मे कोई भी चिकित्सा आख्या दाखिल नहीं की है तथा सम्बन्धित थाना की 156(3) सीआर०पी०सी० का प्रार्थना पत्र की आयी आख्या से भी स्पष्ट है कि थाना हाजा ने कथन किया था कि परिवादी श्यामलाल के विरूद्ध नाजायज दबाब बनाने हेतु झूठा मुकदमा दायर कराना चाहता है। जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि परिवादी के विरूद्ध रिवीजनकर्ता द्वारा दायर मु०अ०सं० 141/2018 धारा 420,467,468,471,120 बी आई०पी०सी० थाना अमरोहा नगर में फैसले का नाजायज दबाब बनाने के लिये रंजिशन तलब कराया है। परिवादी द्वारा फैसले का दबाब बनाने की मंशा से एक फर्जी प्रार्थना पत्र रिवीजनकर्ता के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 156 (3) सीआर०पी०सी० न्यायालय महोदय सी० जे०एम० मे दिनांक 07.12.2023 मे भी योजित किया था तथा

वह भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2024 मे खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के प्रकाश में जे०एम० प्रथम अमरोहा परिवाद सं0 1405/2023 राधेश्याम बनाम श्यामलाल धारा 323,506 आई०पी०सी० थाना अमरोहा नगर मे पारित आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 अपास्त कर रिवीजन स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः याचना की है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिवीजन स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 अपास्त करने की कृपा करे।

निगरानीकर्ता की ओर से सूची से 7 प्रपत्र दाखिल किये गये है जिनमें छाया प्रति एफ0आई0आर0 अ0सं0 141 सन 2018 धारा 420, 467,468, 471भा0दं0सं0 थाना अमरोहा नगर, छाया प्रति आदेश दिनांकित 10.11.2023 अ0सं0 141 सन 2018 वाद सं0 58/19 राज्य बनाम राधेश्याम आदि, छाया प्रति वसीयत नामा मय हिन्दू अनुवाद, छाया प्रति आदेश दिनांकित 14.08.2024 विविध वाद सं0 1666/23 राधेश्याम बनाम श्यामलाल आदि धारा 156(3) दं0प्र0सं0, छाया प्रति वाद सं0 265 सन 2019 मूलवाद सं0 441/11 राधेश्याम बनाम तुलसी देवी आदि आदेश दिनांक 06.02.2025, छाया प्रति आदेश दिनांक 04.02.2025 मूलवाद सं0 149/2018 तुलसी देवी बनाम राधेश्याम आदि, छाया प्रति आदेश दिनांकत 21.08.2025 सिविल रिवीजन सं0 15 सन 2023 राधेश्याम बनाम तुलसी देवी आदि दाखिल किय गये है।

**6—** विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि परिवादी व साक्षीगण ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है और परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया है। प्रश्नगत तलबी आदेश परिवादी के परिवादपत्र कथन परिवादी के बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं गवाहों के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 व अभिलेख के आधार पर पारित किया गया है। कहा गया कि प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विधिक निष्कर्ष पर आधारित है। आदेश में कोई अवैधानिक या विधिक त्रुटि नही है। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

**7—** विपक्षी सं02 परिवादी राधेश्याम की ओर से लिखित बहस का0सं0 19ए प्रस्तुत करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं0 2 विषयगत परिवाद का परिवादी है। विषयगत परिवाद का अभियुक्त श्यामलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मन दास निवासी मौहल्ला कालाकुआं अमरोहा थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा सगा भाई है तथा श्यामलाल विपक्षी सं0 2 से पैतृक सम्पत्ति पर

रंजिश रखता है। विपक्षी सं0 2 अपनी पैतृक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला बगला थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा में अपने पिता के समय से ही दुकान करता आ रहा है। विपक्षी/आपत्तिकर्ता 2 के पिता जी द्वारा वर्ष 1986 में अपनी मृत्यु से करीब 13 दिन पूर्व एक कथित वसीयत श्यामलाल व पवन कुमार के पक्ष में की थी जिसकी कोई जानकारी आपत्तिकर्ता सं0 2 व उसकी मॉ बहन व परिजनों को नहीं थी और ना ही वसीयत को एक्ट अपोन कराया गया था। श्यामलाल द्वारा विपक्षी/आपत्तिकर्ता की मॉ को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब वह अपनी पुत्री पुष्पा के घर हापुड़ रहने लगी। उस वक्त आपत्तिकर्ता सं0 2 अपने मौहल्ला कटरा वख्तार सिंह वाले मकान पर निवास करता था तथा आपत्तिकर्ता सं0 2 का एक भाई प्रदीप कुमार दिल्ली में तथा एक भाई हंसराज पैतृक मकान स्थित मौहल्ला काला कुआ अमरोहा में निवास करता था। विपक्षी/आपत्तिकर्ता की मॉ श्रीमति तुलसीदेवी द्वारा अपने पुत्रों से खिन्न होकर पैतृक सम्पत्ति स्थित लालाकुआ व मौहल्ला बगला की वसीयत अपने पांचों पुत्रों के इकलौते पांचों पातों के पक्ष में वर्ष 2017 में की गयी। इस सम्बन्ध में रिवीजनकर्ता द्वारा एक अभियोग सं0 141 सन 2018 धारा 420,467,468,471, 120बी भा0दं0सं0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा में सात लोगों के विरूद्ध नामजद पंजीकृत कराया था जिसमें आपत्तिकर्ता 2 उम्र 70 वर्ष माता जी श्रीमती तुलसी देवी उम्र 93 वर्ष बहन पुष्पा उम्र लगभग 63 वर्ष व अन्य 4 को अभियुक्त बनाया था। अभियोग संख्या 141 सन 2018 थाना अमरोहा नगर आपत्तिकर्ता सं0 2 व अन्य अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय सी0जे0एम0 द्वारा आत्म समर्पण किया गया तथा जेल जाने के बाद जमानत सेशन न्यायालय से प्राप्त कर अभियुक्तगण वर्तमान में जमानत पर रहा है जिसका वाद वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजि0 अमरोहा में विचाराधीन है। आपत्तिकर्ता की माता श्रीमति तुलसी देवी की दौराने मुकदमा मृत्यु हो चुकी है। रिवीजनकर्ता विपक्षी/आपत्तिकर्ता सं0 2 से रंजिशन मानता है तथा आपत्तिकर्ता सं0 2 के विरूद्ध झूठे मुकदमा पंजीकृत कराता है आये दिन मारपीट करता रहता है तथा जान से मारने की धमकी देता है। दिनांक 03.01.2022 की शाम करीब 6.30.बजे रिवीजनकर्ता उसके अन्य साथियों ने आपत्तिकर्ता पर जान से मारने की नियत से हमला किया मारपीट की तथा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी जिसकी शिकायत पुलिस में करने पर तथा पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही न करने के कारण अवर न्यायालय में

विषयगत परिवाद योजित किया गया जिसमें अवर न्यायालय रिवीजनकर्ता को अभियुक्त बनाते हुए तलब फरमाया गया है। रिवीजनकर्ता विषयगत परिवाद में अवर न्यायालय से जमानत पर रिहा है। अवर न्यायालय द्वारा रिवीजानकर्ता को विधि सम्मत अभियुक्त बनाते हुए तलब किया गया है। रिवीजनकर्ता एक शातिर मुकदमेंबाज किस्म का व्यक्ति है तथा आपत्तिकर्ता से मौहल्ला बगला स्थित दुकान गैर कानूनी तरीके से खाली कराकर उस पर कब्जा नाजायज करना चाहता है तथा आये दिन आपत्तिकर्ता सं0 2 के विरूद्ध षडयंत्र रचता है व आपत्तिकर्ता सं0 2 की आर्थिक मानसिक, शारीरिक, नुकसान पहुंचाता चाहता है। अतः रिवीजनकर्ता का रिवीजन निरस्त किया जाए।

**8–** पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्य्क रूप से परिशीलन किया।

**9–** वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.02.2024 को पारित करते समय कोई अनियमितता या विधिक त्रुटि की गई।

**10–** पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, बयान गवाहान एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.02.2024 में यह उल्लेख किया गया है कि परिवादी राधेश्याम द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए सशपथ कथन किया गया है कि मैं हाईस्कूल तक पढ़ा हूॅ। मैं पांच भाई व तीन बहने है। पिता जी की मृत्यु दिनांक 04.09.1986 को हो गयी थी उनकी मृत्यु के बाद सब वाहमी बंटवारें पर रह रहे थे। मैंने एक सिविल वाद सं0 441/2011 बंटवारे के लिए डाला था। पहले कोई विवाद नहीं था जब विवाद हुआ तब बंटवारों का मुकदमा किया। मुकदमा अभी विचाराधीन है। इस सबसे भिन्न होकर श्यामाल मेरे भाई ने एक मुकदमा पुलिस से हमसाल होकर मेरे ऊपर धोखा धड़ी का लिखा दिया। जमानत के बाद जब मैंने पता किया तो पता चला कि श्यामलाल ने एक फर्जी वसीयत अपने और पवन के नाम करा रखी है। पवन भी मेरा भाई है। वसीयत के आधार पर इन लोगों ने कुछ बैनामा भी कर रखा है। इसकी शिकायत मैंने की तो श्यामलाल ने दो आदमियों के साथ मिलकर दिनांक 03.01.2022 को मेरे साथ मारपीट की। एक के हाथ में चाकू और एक के हाथ में छड़ी था शोर शराबे पर जान

माल की धमकी देते हुए भाग गये। शोर शराबे पर सोहेल, राशिद, आसिफ, खलील आदि कई लोग आ गये थे। मेरे घर के आसपास बबलू, क्रान्ति, जसपाल, जीवन रूपचन्द का घर है। मारपीट मौहल्ला बगला में हुई थी। पतली गली के पास सोहल, खलील, रशीद व आसिफ का घर है। मेरी माता ने वसीयत मंसूखी का दावा किया था। मुझे प्रतिवादी बनाया था। परिवादी के उक्त कथनों का समर्थन परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण क्रमशः सी0डब्लू0–1 मगन कुमार के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं साक्षीगण सी0डब्लू0–1 के बयानों के परिशीलन से प्रथम दृष्ट्या विपक्षी श्याम लाल को प्रस्तुत प्रकरण में धारा 323, 506 भा0दं0सं0 में बतौर अभियुक्त विचारण हेतु तलब किया गया। तदनुसार अभियुक्त श्यामलाल को धारा 323,506 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया है।

**11–** परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में यह उल्लेख किया गया है कि मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूॅं। मैं पांच भाई व तीन बहने है। पिताजी की मृत्यु 06.09.1989 को गयी थी उनके मृत्यु के बाद सब वाहमी बंटवारे पर रह रहे थे मैंने एक सिविल वाद 441/11 बंटवारे के लिए डाला था। पहले कोई विवाद नही जब विवाद हुआ तब बंटवारे का मुकदमा किया। मुकदमा अभी विचाराधीन है। इस सबसे खिन्न होकर श्यामलाल ने एक मुकदमा पुलिस से हमसाज होकर मेरे ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा लिखवाया दिया। जमानत के बाद जब मैंने पता किया तो पता चला कि श्यामलाल ने एक फर्जी वसीयत अपने और पवन के नाम करा रखी है। पवन भी मेरा भाई है। वसीयत के आधार पर इन लोगों ने कुछ बैनामा भी करा रखा है। इसकी शिकायत मैंने की तो श्यामलाल ने दो आदमियों के साथ मिलकर 03.01.2022 को मेरे साथ मारपीट की। एक के हाथ में चाकू और एक के हाथ में हाकी थी शोर शराबे पर जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। शोर शराबे पर सोहेल, राशिद, आसिफ, खलील आदि कई लोग आ गये थे। मेरे घर के आसपास बबलू, क्रान्ति जसपाल, जीवन, रूपचन्द्र का घर है। मारपीट मौ0 बगला में हुई थी। पतली गली के पास सोहेल, खलील, रशीद व आसिफ का घर है। मेरे माता ने वसीयत मंसूखी का दावा किया था। मुझे प्रतिवादी बनाया था।

परिवादी की ओर से अपने कथनों की पुष्टि हेतु साक्षी सी0डब्लू0–1

गगन कुमार को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि मेरे दादा जी द्वारा एक कथित वसीयत कुछ वर्ष पूर्व श्यामलाल व पवन कुमार के पक्ष में की थी जिसकी जानकारी मेरे पिता जी, दादी दी व परिवारजनों को नहीं थी। श्यामलाल व पवन कुमार के वसीयत के आधार पर मेरे पिता जी को अंधेरे में रखकर सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द करने का प्रयास किया। मेरे पिता जी व उनके भाईयों से सम्पत्ति का बंटवारे का मुकदमा चल रहा है। मेरी दादी श्रीमति तुलसी देवी ने एक वसीयत अपने सभी पातों के नाम की हुई है। प्रार्थी मौहल्ला बगला में दुकान करता है। दिनाक 03.01.2022 को शाम करीब 6.30बजे मेरे पिता जी मौ0 बंगला से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाली एक गली में श्यामलाल ने अन्य दो व्यक्तियों के साथ मिलकर मेरे पिता जी को घेर लिया । इन लोगों के पास चाकू था। इन लोगों ने मेरे पिता जी पर हमला करते हुए मारपीट व गाली गलौच की। शोर शराबे पर बहुत से लोग आ गये थे। मैं भी पहुंच गया था ये लोग मेरे पिता जी को देख लेने व जान से मारने की धमकी देकर चले गये। मारपीट में मेरे पिता जी को चोटें आयी थी।

विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के परिवाद कथन, परिवादी के बयान धारा 200 व साक्षीगण के बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्ध धारा 323,506 भा0दं0सं0 का प्रथम दृष्ट्या अपराध बनते पाये जाने पर विचारण हेतु न्यायालय आहूत किया गया है। तलबी के स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत विवेचना की आवश्यकता नहीं है, मात्र प्रथम दृष्ट्या मामला अभियुक्त के विरूद्ध बनता है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए।

**12— विधि व्यवस्था अमित कपूर बनाम रमेश चन्द (2012) 9 एस0सी0सी0 पृष्ठ 460 के निर्णय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि** जो तथ्य पर निष्कर्ष दिया गया है उन्हें निगरानी न्यायालय तब तक विवादित न करे जब तक कि विचारणीय न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि या घोर अनियमितता न बरती गई हो।

आलोच्य आदेश, पुनरीक्षणकर्तागण को तलब किये जाने से सम्बन्धित है और तलबी के सम्बन्ध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि परिवाद के मामलों में अभियुक्तगण को तलब किये जाने के पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं और इस हेतु

मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित नही है कि वह धारा 200 व 202 दं0प्र0सं0 में दिये गये बयान की त्रुटियों का आकलन करे। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर आफ इंम्पोटर्स एण्ड एक्सपोर्टस बनाम रोशन लाल अग्रवाल, ए0आई0आर0 2003 सुप्रीम कोर्ट 1900** में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्तगण को तलब किये जाने के लिये यह देखना होगा कि कार्यवाही के लिये प्रथम दृष्ट्या मामला है अथवा नही। इस हेतु यह नहीं देखा जा सकता कि साक्ष्य की प्रकृति दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है या नहीं। यही सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **डॉक्टर श्रीमती नूपुर तलवार बनाम सी0बी0आई0 दिल्ली, 2012(77) ए.एसी.सी. 718 तथा जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 2004(49) ए.सी.सी. 9** में भी प्रतिपादित किया गया है।

इसके अतिरिक्त तलबी के स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत विवेचना की भी आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सैयद मुश्ताक अली एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य 2013 (80) ए.सी.सी0 493** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि तलबी के स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत विवेचना की आवश्यकता नहीं है, मात्र प्रथम दृष्ट्या मामला अभियुक्त के विरूद्ध बनता है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए।

**13—** पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र व साक्षीगण के साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा परिवादी के साथ घटना कारित करने का समर्थन किया गया है और विचारणीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र व बयान गवाहान के आधार पर ही अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्ध धारा 323,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या अपराध बनते पाये जाने पर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.02.2024 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

**14—** उक्त विवेचना, उद्धरण निर्णयों एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय का मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 22.02.2024 में कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं है तथा प्रश्नगत आदेश समस्त तथ्यों, विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समुचित रूप से पारित किया गया है तथा प्रश्नगत आदेश में इस पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना विधिक रूप से अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार पर प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज किये जाने योग्य है तथा विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22.02.2024 पुष्ट किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आपराधिक पुनरीक्षण सं0 121 सन 2024 श्यामलाल आदि बनाम उ0प्र0 राज्य आदि खारिज की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज जू0डिवी0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा परिवाद सं0 1405 सन 2023 राधेश्याम बनाम श्यामलाल के अन्तर्गत अभियुक्त श्यामलाल को धारा 323, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आहूत कर विचारण किये जाने के पारित समनिंग आदेश दिनांक 22.02.2024 पुष्ट किया जाता है।

निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दिनांक 02.06.2026

**(शाकिर हसन)**
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं0—1,
अमरोहा।

**JOCODE-UP 2416**

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित कर सुनाया गया।

दिनांक 02.06.2026

**(शाकिर हसन)**
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं0—1,
अमरोहा।

**JOCODE-UP 2416**